Date
Page

शिक्षा का निजीकरण (Privatization of Education) →

प्राचीन काल से ही शिक्षा मानव-जीवन का अभिन्न अंग रही है क्योंकि यह मस्तिष्क का संवर्धन कर दक्षता प्राप्ति द्वारा जीवन को संतोषजनक बनाती है।

शिक्षा का सर्वव्यापीकरण 20वीं शताब्दी में संभव हुआ। आज शिक्षा मानव की मूलभूत आवश्यकता बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति में सीखने और अपने आप को शिक्षित करने की ललक होती है और शिक्षा ही उसे आवश्यक ज्ञान द्वारा जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करती है।

आज शिक्षा वह नींव है जिस पर आधुनिक समाज के स्तम्भ खड़े हैं। अनौपचारिक एवं सस्ती शिक्षा आज अतिविशिष्ट हो गयी है। इसने प्लेटो और अरस्तु के दिनों से लेकर और एक समय में भारत में सम्मानित गुरुकुल परम्परा से लेकर आज तक लम्बी यात्रा की है।

अधिकांश देशों में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा देते समय विषय-वस्तु के संगत स्वीकृत सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन भारत जैसा विकासशील देश आर्थिक दबाव के कारण शिक्षा पर अधिक व्यय वहन नहीं कर सकता है।

हमारा शिक्षा पर व्यय हमारे सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) GDP का मात्र 2·8 प्रतिशत है जबकि विकसित देशों

Scanned with CamScanner

में सामान्यतः स्वीकृत मानदण्ड 6 प्रतिशत या उससे अधिक है।

यह छात्रों को सही अर्थ में पढ़ाने या शिक्षित करने की चेष्टा नहीं करती है। कक्षाओं में उपस्थिति से इसके दोनों अभिप्राय और वर्तमान व्यवस्था का अन्त हो जाता है। नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएँ बनायी है। जैसे - मध्याह्न की भोजन योजना और विद्यालय में 8वीं तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं करना है। इससे विद्यालय छोड़ने वालों की दर में कमी आयी है तथापि शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आयी है। विशिष्ट श्रेणी के पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से प्रमाणित हो गई है।

शिक्षा एक विशेष लक्ष्य है और इस तरह से संस्थानों को उनके समर्पित शिक्षकों और प्रतिभाशाली योग्य छात्रों ने जीवन विभिन्न क्षेत्रों में स्थान बनाकर प्रतिष्ठित किया है। सरकार की दोषपूर्ण शिक्षा नीति के साथ सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। निजी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध रखते हैं। सरकारी विद्यालयों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतम विद्यालयों में भवन और पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सुविधाओं का अभाव होता है और कभी-2 शिक्षक भी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा के निजीकरण से अक्षमता, भ्रष्टाचार, शिक्षक, उपकरण, प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालयों

Scanned with CamScanner

जैसे मानवीय संसाधनों के अपर्याप्त उपयोग को दूर किया जा सकता है। जो अब हमारी शिक्षा पद्धति के अनिवार्य अंग बन गये हैं। लेकिन शिक्षा के निजीकरण का नकारात्मक पहलू भी है। शिक्षा के निजीकरण ने समाज के उच्च वर्गों के स्वार्थ के लिए अमीरों और गरीबों के बीच विषमता को बढ़ाने का काम किया है।

निजी क्षेत्र प्राथमिक / उच्च विद्यालय शिक्षा में संलग्न है तो उनमें से अधिकांश संस्थानों में मुख्यतः सरकारी निधि या सहायता प्राप्त संस्थानों में अनुदान से प्राप्त धन को अक्सर दूसरे नाम पर खर्च करके स्थिति को बदतर बना दिया जाता है। इस तरह के संस्थानों के शिक्षकों को शायद ही कभी पूरा वेतन दिया जाता है जबकि उन्हें सरकारी वर्ग के समान पूर्ण रकम प्राप्ति की रसीद देनी होती है। और उनके कार्यकाल की कोई गारंटी नहीं होती है। ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को छोड़कर शेष निजी स्कूलों के शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर रुपये दिये जाते हैं।

शिक्षा के परिदृश्य से निजी क्षेत्रों को बाहर रखना संभव नहीं है क्योंकि सरकारी निधि शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के आदर्श को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। देश के बहुत से क्षेत्रों शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएँ तक नहीं हैं। इस प्रकार, निजी क्षेत्र की शिक्षा में संलग्नता आवश्यकता बन चुकी है। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी में आ रही अड़चनों को कम

से कम करने की आवश्यकता है निजी क्षेत्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए हमें राज्य एवं केन्द्र और राज्य दोनों से स्पष्ट एवं पारदर्शी सरकारी नीति की जरूरत है क्योंकि शिक्षा भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अन्तर्गत आती है।

Scanned with CamScanner